

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1
संख्या:बीस-05-2014 दिनांक:अगस्त 03 2015

सेवा में

पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक,
उ० प्र० पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र,
जवाहर भवन, लखनऊ।

विषय उ० प्र० पुलिस प्रोविजनिंग एवं बजट हस्तपुस्तिका-2012 को अद्यतन कराये जाने के संबंध में।

कृपया "उ० प्र० पुलिस प्रोविजनिंग एवं बजट हस्तपुस्तिका-2012 प्रकाशन के बाद प्रश्नगत पुस्तिका को अद्यतन कराये जाने संबंधी पुलिस मुख्यालय के अनुभाग-3/क, 3/ख एवं बारह द्वारा कुल 10 शासनादेश को पुलिस की वेब-साइट पर डालकर प्रचारित किया जाना है। जिनका विवरण निम्नवत है:-

- (1) 939पी/छ:-पु-6-13-300(72)/2007दिनांक:11-06-2013
- (2) 1991पी/छ:-पु-6-13-300(41)/07दिनांक:03-10-2013
- (3) 1986पी/छ:-पु-6-13-300(46)/04दिनांक:04-10-2013
- (4) 1989पी/छ:-पु-6-13-300(20)/03दिनांक:04-10-2013
- (5) 1789पी/छ:-पु-6-13-300(49)/08दिनांक:04-10-2013
- (6) 1738/6-पु-2-2013-1600(460)/2011दिनांक:19-10-2013
- (7) 165/छ:-पु०से०-1-2014-622(28)/11दिनांक:21-01-2014
- (8) 07पी/छ:-पु-6-14-1860/81 दिनांक:28-01-2014
- (9) 388पी/छ:-पु-6-13-300(90ए)/03 दिनांक:10-02-2014
- (10) 682पीजीएस/छ:-पु०-2-14-700(1)/2001दिनांक:09-05-2014

3- अतएव अपर पुलिस महानिदेशक, मु० महोदय के निर्देशानुसार उक्त शासनादेशों को संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि इनको प्रचार प्रसार हेतु पुलिस की वेब-साइट पर डालने का कष्ट करें।
संलग्नक:यथोपरि।



(राजेश कुमार श्रीवास्तव)

अपर पुलिस अधीक्षक, मु०
नि०:अपर पुलिस महानिदेशक, मु०
उत्तर प्रदेश।

जाकी
11/6/03

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 11 मई, 2013

विषय:-जनपद आगरा के थाना पर्यटन हेतु स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3क-197-आर-2007, दिनांक 3-5-2013 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय आपके अधीन जनपद आगरा में प्रमाणी निरीक्षक-01, उप निरीक्षक-03, मुख्य आरक्षी-03, आरक्षी-14, आरक्षी चालक-01 कुल 22 (संलग्नक में उल्लिखित) अस्थायी पदों को दिनांक 11 मई, 2013 से स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हें अनुमन्य हो, भी देय होंगे।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्थायी पदों के दिनांक 11 मई, 2013 से स्थायी पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक के कालम-6 में उल्लिखित शासनादेश संख्या 344 पी/छ-पु-6-2013-300(72)/2007, दिनांक 27 फरवरी, 2013 को, जिसमें इन पदों को वर्ष 2013 में दिनांक 28-2-2014 तक अस्थायी रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता केवल दिनांक 11 मई, 2013 के लिए ही दी गयी थी।

4- उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-26 गृह (पुलिस) विभाग के अधीन लेखाशीर्षक "2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस (मुख्य)" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5- प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थायीकरण कार्यालय झाप संख्या ए-2-797/दस-87-24(12)-86, दिनांक 25 मई, 1987 में निहित सभी शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,
(सुशील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।


संख्या 939 (1) पी/उ:-पु-6-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
- 3- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2
- 4- गार्ड फ़ाइल।

32
मात्र

आज्ञा से,



(सुशील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संलग्नक

शासनादेश संख्या १३९ पी/छ-पु-६-१३-३००(७२)/२००७, दिनांक ११ मई, २०१३ से स्थायी किये गये पदों का विवरण :-

क्र० सं०	पदनाम	स्थाई किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप में सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रभारी निरीक्षक	01 (एक)	6500-200-10500 रु०	सं० २५४९ पी/छ-पु-६-०७-३०० (७२)/०७, दिनांक २४-४-२००७	सं० ३४४ पी/छ-पु-६-२०१३-३००(७२)/०७, दिनांक २७ फरवरी, २०१३	
2	उप निरीक्षक नागरिक पुलिस	03 (तीन)	5500-175-9,000 रु०	तदैव	तदैव	
3	मुख्य आरक्षी	03 (तीन)	3200-85-4,900 रु०	तदैव	तदैव	
4	आरक्षी	14 (चौदह)	3050-75-3950-80-4590 रु०	तदैव	तदैव	
5	आरक्षी चालक	01 (एक)	3050-75-3950-80-4590 रु०	तदैव	तदैव	
		कुल=२२	(पुराना वेतनमान)			

31
27/12/13

(सुशील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव
गृह विभाग, उ०प्र० शासन।

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

अनुभाग अधिकारी II A

पुलिस अधीक्षक मुख्यालय
दिनांक 23/8/13

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

अपर पुलिस महानिदेशक
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय

लखनऊ: दिनांक 03 अक्टूबर, 2013

विषय:-जनपद कौशाम्बी में स्थापित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर थाना महेवाघाट की स्थापना हेतु स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3क-09-आर-2009, दिनांक 28-8-2013 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जनपद कौशाम्बी में स्थापित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर थाना महेवाघाट की स्थापना हेतु स्वीकृत उप निरीक्षक-01, आरक्षी-04 एवं आरक्षी चालक-01 कुल 06 (संलग्नक में उल्लिखित) अस्थायी पदों को दिनांक 03 अक्टूबर, 2013 से स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हें अनुमन्य हो, भी देय होंगे।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्थायी पदों के दिनांक 03 अक्टूबर, 2013 से स्थायी पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक के कालम-6 में उल्लिखित शासनादेश संख्या 279 पी/छ-पु-6-2013-300(41)/07, दिनांक 28 फरवरी 2013 को, जिसमें इन पदों को वर्ष 2013 में दिनांक 28-2-2014 तक अस्थायी रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता केवल दिनांक 03 अक्टूबर, 2013 के लिए ही दी गयी थी।

4- उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-26 गृह (पुलिस) विभाग के अधीन लेखाशीर्षक "2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस (मुख्य)" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5- प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थायीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-2-797/दस-87-24(12)-86, दिनांक 25 मई, 1987 में निहित सभी शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

संलग्नक :-यथोपरि।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

-6-

संलग्नक

शासनादेश संख्या 1730 पी/छ-पु-6-13-300(41)/07 दिनांक 03 अक्टूबर, 2013 से स्थायी किये गये पदों का विवरण :-

क्र० सं०	पदनाम	स्थाई किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप में सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अंतिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अनुसूक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	उप निरीक्षक	01	5500-175-9,000/- (पुराना वेतनमान)	सं० 1957 पी/छ-पु-6-2008-300 (41)/07, दिनांक 30-7-2008	सं० 279 पी/छ-पु-6-2013-300 (41)/07, दिनांक 27 28 फरवरी, 2013	
2	आरक्षी	04	3050-75-39,50- 80-4590/- (पुराना वेतनमान)	तदैव	तदैव	
3	आरक्षी चालक	01	3050-75-39,50- 80-4590/- (पुराना वेतनमान)	तदैव	तदैव	
		कुल=06				

(सुशील कुमार पाण्डेय)

उप सचिव

गृह विभाग, उ०प्र० शासन।

2565
24/10/13

M

प्रेषक,

जय शंकर तिवारी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।3PHC
314अपर पुलिस महानिदेशक
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद

24/10/13

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

विषय:-जनपद लखनऊ के थाना चिनहट के अन्तर्गत पुलिस चौकी अपट्रान की स्थापना हेतु स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3क-30-आर-2003, दिनांक 28-8-2013 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जनपद लखनऊ के थाना चिनहट के अन्तर्गत पुलिस चौकी अपट्रान की स्थापना हेतु स्वीकृत उप निरीक्षक-01, मुख्य आरक्षी-07, आरक्षी-01 कुल 09 (संलग्नक में उल्लिखित) अस्थायी पदों को दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 से स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हें अनुमन्य हो, भी देय होंगे।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्थायी पदों के दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 से स्थायी पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक के कालम-6 में उल्लिखित शासनादेश संख्या 339 पी/छ-पु-6-2013-300(20)/03, दिनांक 27 फरवरी 2013 को, जिसमें इन पदों को वर्ष 2013 में दिनांक 28-2-2014 तक अस्थायी रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता केवल दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के लिए ही दी गयी थी।

4- उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-26 गृह (पुलिस) विभाग के अधीन लेखाशीर्षक "2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस (मुख्य)" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5- प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थायीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-2-797/दस-87-24(12)-86, दिनांक 25 मई, 1987 में द्वारा प्रतिनिधानित है एवं उसमें सभी शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(जय शंकर तिवारी)
अनु सचिव।Sai Anil
H.A. 12/10/2013

संलग्नक

शासनादेश संख्या 1788 पी/छ-पु-6-13-300(20)/03. दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 से स्थायी किये गये पदों का विवरण :-

क्र० सं०	पदनाम	स्थाई किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप में सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	उप निरीक्षक	01	5500-175-9,000/- (पुराना वेतनमान)	सं० 1638 पी/छ-पु-6-2005-300 (20)/03, दिनांक 8-9-2005	सं० 330 पी/छ-पु-6-2013-300(20)/03, दिनांक 27 फरवरी, 2013	
2	मुख्य आरक्षी	01	3200-85-4,900/- (पुराना वेतनमान)	तदैव	तदैव	
3	आरक्षी	07	3050-75-39,50-80-4590/- (पुराना वेतनमान)	तदैव	तदैव	
		कुल=09				

(जय शंकर तिवारी)

अनु सचिव

गृह विभाग, सं०५० शासन।

2573
24/10/13

प्रेषक,

जय शंकर तिवारी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

विषय:-जनपद प्रतापगढ़ के थाना कुण्डा के अन्तर्गत ग्राम मनगढ़ में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना हेतु स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3क-102-आर-2008, दिनांक 28-8-2013 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जनपद प्रतापगढ़ के थाना कुण्डा के अन्तर्गत ग्राम मनगढ़ में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना हेतु स्वीकृत उप निरीक्षक-01, मुख्य आरक्षी-02, आरक्षी-14, एवं सहायक परिचालक-01 कुल 18 (संलग्नक में उल्लिखित) अस्थायी पदों को दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 से स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है।

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हें अनुमन्य हो, भी देय होंगे।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्थायी पदों के दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 से स्थायी पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक के कालम-6 में उल्लिखित शासनादेश संख्या 392 पी/छ-पु-6-2013-300(49)/08, दिनांक 27 फरवरी 2013 को, जिसमें इन पदों को वर्ष 2013 में दिनांक 28-2-2014 तक अस्थायी रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता केवल दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के लिए ही दी गयी थी।

4- उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-26 गृह (पुलिस) विभाग के अधीन लेखाशीर्षक "2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला पुलिस-03-जिला पुलिस (मुख्य)" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5- प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थायीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-2-797/दस-87-24(12)-86, दिनांक 25 मई, 1987 में निहित सभी शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

संलग्नक:-यथोपरि।

S.P.H.8
3/5

अपर पुलिस महानिदेशक
उ०प्र०

31/10/2013

CC Regular Recd 2013

Sar Anil
N.A. 12
12/10/13
24/7/13


भवदीय
[Signature]

(जय शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

संलग्नक

* शासनादेश संख्या 1789 पी/छ-पु-6-13-300(49)/08, दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 से स्थायी क्रिये गये पदों का विवरण :-

क्र० सं०	पदनाम	स्थाई क्रिये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप में सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के रथायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अन्त्युक्ति यदि कोई हो
1	उप निरीक्षक	01	5500-175-9,000/- (पुराना वेतनमान)	5 सं० 3275 पी/छ-पु-6-2007-300 (49)/08, दिनांक 5-11-2008	6 सं० 382 पी/छ-पु-6-2013-300(49)/08, दिनांक 27 फरवरी, 2013	7
2	मुख्य आरक्षी	02	3200-85-4,900/- (पुराना वेतनमान)	तदैव	तदैव	
3	आरक्षी	14	3050-75-39,500/- 80-4590/- (पुराना वेतनमान)	तदैव	तदैव	
4	सहायक परिचालक	01	3200-85-4,900/- (पुराना वेतनमान)	तदैव	तदैव	
		कुल=18				


 (उप शंकर तिवारी)
 अनु सचिव
 गृह विभाग, उ०प्र० शासन।

प्रिय,

प्रकाश नारायण,
संयुक्त सचिव,
उO प्रO शासन।

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक,
उOप्रO लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, पीएसी,
पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।

1151

अनुभाग अधिकारी XII

पुलिस अधीक्षक मुख्यालय
दिनांक 22/11/13

गृह (पुलिस) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2013

विषय- बैरक में रहने वाले पुलिस/पीएसी कर्मियों को "फैमिली एकोमोडेशन एलाउन्स" दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बैरकों में रहने वाले पुलिस/पीएसी कर्मियों को निम्नानुसार "फैमिली एकोमोडेशन एलाउन्स" दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) ऐसे पुलिस/पीएसी कर्मी, जिन्हें न तो सरकारी आवास मिला है और न ही बैरक में रहते हैं, उन्हें उनकी सैन्यता के स्थान पर किराये के मकान में रहने पर या उसी स्थान पर अपने आवास में रहने पर यदि मकान किराया भत्ता हेतु निर्धारित प्राखप में प्रमाण पत्र आहरण-वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष को उपलब्ध कराते हैं तो उन्हें नियमानुसार उस स्थान का मकान किराया भत्ता दिया जायेगा।

(ख) यदि किसी पुलिस/पीएसी कर्मी को किसी भी प्रकार का सरकारी आवास/आवासीय सुविधा (बैरक को छोड़कर) मिली है तो उक्त कर्मी को कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

(ग) विभाग की फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अनुसार बैरक में रहने वाले पुलिस/पीएसी कर्मी को निम्नानुसार "फैमिली एकोमोडेशन एलाउन्स" अनुमन्य कराया जायेगा :-

(I) यदि पुलिस/पीएसी कर्मी श्रेणी-'ए', 'बी-1' एवं 'बी-2' श्रेणी के नगरों के शहरी क्षेत्र में बैरक में रह रहे हैं तथा उनका परिवार उसी नगरों के शहरी क्षेत्र में किराये के मकान/अपने मकान में रहता है तो संबंधित कर्मी द्वारा यह प्रमाण पत्र दिये जाने पर कि उनका परिवार उनके साथ न रहकर उसी नगरों के शहरी क्षेत्र में किराये के आवास/अपने आवास में रह रहा है, तो उन्हें रु0 730/- (सात सौ तीस रुपये मात्र) प्रतिमाह "फैमिली एकोमोडेशन एलाउन्स" दिया जायेगा।

(II) यदि पुलिस/पीएसी कर्मी श्रेणी-'सी' के नगरों के शहरी क्षेत्र में बैरक में रह रहे हैं और उनका परिवार उसी नगरों के शहरी क्षेत्र में किराये के मकान/अपने मकान में रहता है तो यह प्रमाण पत्र देने पर कि उनका परिवार उनके साथ न रहकर उसी नगरों के शहरी क्षेत्र में ही किराये के मकान/अपने मकान में रह रहा है उन्हें "फैमिली एकोमोडेशन एलाउन्स" रु0 550/- (पांच सौ पचास रुपये मात्र) प्रतिमाह दिया जायेगा।

1153

SPH

R

मुख्य सचिव (प्रो/बजट)
पुलिस मुख्यालय

1000लखनऊ 22/10/13

(III) बैरक में रहने वाले जिन पुलिस/पीएसी कर्मियों को उपर्युक्त बिन्दु संख्या-(ग)(i) (ग)(ii) का "फैमिली एकोमोडेशन एलाउन्स" अनुमन्य नहीं होगा, और वे बैरक में रह रहे हैं तो उन्हें ख० 365/- (तीन सौ पैंसठ रुपये मात्र) प्रतिमाह "फैमिली एकोमोडेशन एलाउन्स" दिया जायेगा।

उक्त "फैमिली एकोमोडेशन एलाउन्स" तभी मिलेगा जब संबंधित पुलिस/पीएसी कर्मों के नियंत्रक अधिकारी यथा-पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट इस बात का प्रमाण पत्र देंगे कि कार्मिक की सेनाली के स्थान पर कोई राजकीय आवास रिक्त नहीं है।

2- नगरों का वर्गीकरण, मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार होगा।

3- उक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

4- इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशाकीय संख्या-जी-1-540/दस-2013, दिनांक 19 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवतीय,



(प्रकाश नारायण)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1738/6-पु-2-2013-1600(460)/2011, तद्विनाश

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार आडिट प्रथम/लेखा प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. वित्त (व्याय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
4. गृह (पुलिस) अनुभाग-7
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।

आज्ञा से,


(प्रकाश नारायण)
संयुक्त सचिव।

-14-
R-251
29/11/14

3 क-74-20/1

446

7577

संख्या:-165/छ:-पु0से0-1-2014-622(28)/11

प्रेषक,

वीरेन्द्र प्रताप सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1-6-1998/10

S. P. (1000)
3/11

688

अनुभाग अधिकारी

पुलिस अधीक्षक मुख्यालय
दिनांक 29/11/14

अपर पुलिस महानिदेशक

उपपुलिस मुख्यालय

दिनांक 29/11/14

गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 21 जनवरी, 2014

विषय:-प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुनर्गठन (कॉडर रिव्यू) के फलस्वरूप अपर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक के अतिरिक्त पदों का सृजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डीजी-2-ब-28(3)2010 दिनांक 25.11.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, सम्यक् विचारोपरांत प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग का पुनर्गठन किये जाने तथा इस निमित्त पुलिस उपाधीक्षक ज्येष्ठ वेतनमान वेतन बैंड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड-पे रु0 6600 के 88 नये पद, अपर पुलिस अधीक्षक वेतन बैंड-3 रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड-पे रु0 7600 में 15 नये पद, अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी-11 वेतन बैंड-4 रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड-पे रु0 8700 में 14 नये पद तथा अपर पुलिस अधीक्षक विशेष श्रेणी-1 वेतन बैंड-4 रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड-पे रु0 8900 में 07 नये पद अर्थात् कुल 124 अस्थायी पदों को दिनांक 28.02.2014 तक यदि इसके पूर्व इसे समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त नवसृजित पदों पर कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार तैनाती की जायेगी।

3. उक्त पद पर नियुक्त अधिकारी को वेतन के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते जो नियमानुसार अनुमन्य हो, देय होंगे।

4. उक्त पद पर समय-समय पर संशोधित/लागू राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्राविधान लागू होंगे तथा अन्य ऐसी सभी सेवा शर्तें

29/11/14

लागू होगी जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/लागू/संशोधित की जायेगी।

इस संबंध में होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-26 के लेखाशीर्षक-2055 पुलिस-आयोजनेत्तर के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-129/X-14 दिनांक 20.01.2014 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- ✓(2) अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- (3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- (4) वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-12
- (5) गृह (पुलिस) अनुभाग-7
- (6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
- (7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश चन्द्रा)
विशेष सचिव।

फैक्स / महत्वपूर्ण

संख्या 07 पी/छ:-पु-8-14-1860/81

प्रेषक

अमृत अभिजात,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

विषय:-प्रदेश के जनपदों में ग्राम चौकीदारों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर किये जाने के संबंध में।

लखनऊ: दिनांक 28 जनवरी, 2014

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के जनपदों में ग्राम चौकीदारों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति को शासनादेश संख्या 210 पी/छ:-पु-8-13-01 सीएम/2012, दिनांक 4-2-2013 द्वारा अस्थायी रूप से स्थगित की गयी थी। गृह विभाग के अन्तर्गत कानून व्यवस्था से जुड़े पदों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण पदों के अत्यधिक संख्या में रिक्त होने की दशा में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91/का-2, दिनांक 19 नवम्बर 2013 द्वारा उक्त पदों की भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है। फलस्वरूप उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 4-2-2013 द्वारा प्रदेश के जनपदों में ग्राम चौकीदारों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर नियुक्ति किये जाने संबंधी रोक को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव कृपया प्रदेश के जनपदों में ग्राम चौकीदारों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर नियुक्ति/भर्ती की कार्यवाही उ०प्र० पुलिस रेगुलेशन में उल्लिखित व्यवस्था के दृष्टिगत नियमानुसार करने के संबंध में अपने स्तर से समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
सचिव।

संख्या 07 (1) पी/छ:-पु-8-14 तदुदिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
सचिव।

65
17/2/13

5117
17/2/14

325-147-आर-03

727

FAY

संख्या 388/पी/छ:-पु-6-13-300(90ए)/03

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

S. P. (H.O.)
अप

अपर पुलिस महानिदेशक
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय
इलाहाबाद 11.2.14

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी, 2014

विषय:- जनपद बदायूं में थाना गुन्नौर के अन्तर्गत ग्राम पतरिया में स्थापित रिपोर्
पुलिस चौकी की स्थापना के लिए स्वीकृत अस्थायी पदों का स्थायीकरण।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3/क-147-आर-03, दिनांक
13-12-2013 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय
जनपद बदायूं में थाना गुन्नौर के अन्तर्गत ग्राम पतरिया में स्थापित रिपोर्
की स्थापना हेतु संलग्नक में उल्लिखित अस्थायी पदों को दिनांक 10-2-2014 से
स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये
आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य मत्ते, जो उन्हें अनुमन्य हो, भी देय होंगे।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थायी पदों के दिनांक
फरवरी, 2014 से स्थायी पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक के कालम-6
में उल्लिखित शासनादेश संख्या 338 पी/छ:-पु-6-2013-300(90ए)/03, दिनांक 27
फरवरी, 2013 को, जिसमें इन पदों को वर्ष 2013-14 में दिनांक 28-2-2014 तक
अस्थायी रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इस सीमा तक संशोधित
माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता केवल दिनांक 10 फरवरी, 2014 के लिए ही
दी गयी थी।

4- उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-26 गृह
(पुलिस) विभाग के अधीन लेखाशीर्षक "2055-पुलिस आयोजनेत्तर-109-जिला
पुलिस-03-जिला पुलिस (मुख्य)" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला
जायेगा।

-2/-

1099

III

13.2.14

14.2.14

14.2.2014

5- प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थायीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-2-797/दस-87-24(12)-86, दिनांक 25 मई, 1987 में निहित सभी शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।
संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
सचिव।

संख्या 388 (1) पी/छ:-पू-6-13 तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- पुलिस अधीक्षक, बदायूं।
 - 3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
 - 4- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2
 - 5- गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
सचिव।

शासनादेश संख्या 338 पी/छ-पु-6-13-300(90ए)/03, दिनांक 10 फरवरी, 2014 द्वारा जनपद बदायूं में शाना पुनौर के ग्राम पंचायतिया रिपोर्टिंग पुलिस चौकी के संस्थापक पदों को स्थायी किये गये पदों का विवरण है—

क्र० सं०	पदनाम	स्थाई किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद पूरा रूप में सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की विधि तब उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	उप निरीक्षक	01	5500-175-9,000/- (पुराना वेतनमान)	सं० 1428 पी/छ-पु-6-2005-300(90ए)/05, दिनांक 30-1-2006	सं० 338 पी/छ-पु-6-2013-300(90ए)/03, दिनांक 27 फरवरी, 2013	
2	मुख्य आरक्षी	02	3200-85-4,900/- (पुराना वेतनमान)	सं० 1428 पी/छ-पु-6-2005-300(90ए)/05, दिनांक 30-1-2006	सं० 338 पी/छ-पु-6-2013-300(90ए)/03, दिनांक 27 फरवरी, 2013	
3	आरक्षी	10	3050-75-39,50-80-4590/- (पुराना वेतनमान)	सं० 1428 पी/छ-पु-6-2005-300(90ए)/05, दिनांक 30-1-2006	सं० 338 पी/छ-पु-6-2013-300(90ए)/03, दिनांक 27 फरवरी, 2013	
4	सहायक परिचालक	01	3200-85-4,900/- (पुराना वेतनमान)	सं० 1428 पी/छ-पु-6-2005-300(90ए)/05, दिनांक 30-1-2006	सं० 338 पी/छ-पु-6-2013-300(90ए)/03, दिनांक 27 फरवरी, 2013	
		कुल=14				

(अमृत अभिजात)

सचिव

गृह विभाग, उ०प्र० शासन।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-।
संख्या: 3/ख-164-2005 दिनांक: मई 29, 2014


सेवा में,

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स, उ०प्र०।
2. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ०प्र०।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ०प्र०।

विषय: विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा हेतु गनर, शैंडो एवं गार्ड उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रचलित नीति के स्थान पर नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के प्रमुख सचिव, गृह उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 682पीजीएस/छ:-पु०-2-14 -700(1) /2001, दिनांक 09 मई, 2014 जिसकी प्रति अन्य के अतिरिक्त आपको सम्बोधित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महानुभावों को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु वर्तमान में प्रचलित समस्त शासनादेशों एवं नियमों को अवकमित करते हुए महानुभावों को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु कतिपय विन्दुओं पर नीति निर्धारित करते हुए परिपत्र जारी किये गये हैं।

2. निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया उक्त शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।


29/5/14
(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,
नि०अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-बीस, पुलिस मुख्यालय को उपरोक्त शासनादेश दिनांक 09.5.2014 की 05 प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इसे गजट में प्रकाशित करायें।

2. उपरोक्त शासनादेश की प्रति विभाग तीन/ख के गार्ड फाइल में अभिलेखार्थ रखने हेतु।

-21- email/र मरु 24/164/2008

संख्या- 682 PGS/डा-पु0-2-14-700(1)/2001

प्रेषक,

अनिल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

3777

प्राप्त/पुलिस

16/11/02

सैंवा में,

1. पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा),
सुरक्षा मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक, जोन/पुलिस उप महानिरीक्षक,
परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक: 09 मई, 2014

गृह(पुलिस) अनुभाग-2

S.P (40)

100/1107

विषय:- विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा हेतु गनर, शैडो एवं गार्ड उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रचलित नीति के स्थान पर नई नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रिट याचिका संख्या 6509(एमबी)/2013(पीआईएल) डा0 नूतन ठाकुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.12.2013 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत प्रदेश के महानुभावों को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु वर्तमान में प्रचलित समस्त शासनादेशों एवं नियमों को अवकमित करते हुए महानुभावों को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है:-

Addl SPXQ

SPXQ

22/5/14

11/11

Addl SPXQ
23/5/2014

- (1) सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सभी आवेदक प्रपत्र-1 पर अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।
- (2) सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवेदकों की जीवनभय आख्या प्रपत्र-1 के अनुसार जनपदीय/मण्डलीय सुरक्षा समिति शासन को उपलब्ध करायेगी।
- (3) सुरक्षा हेतु आवेदन करने पर आवेदक के जीवनभय का सही आंकलन कर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जनपदीय सुरक्षा समिति द्वारा सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। जिला सुरक्षा समिति में जिलाधिकारी के अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई के प्रभारी सदस्य होंगे। जीवनभय पर आधारित सुरक्षा का औचित्य पाये जाने पर आवेदक को एक माह के लिए सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक-एक माह कर दो बार बढ़ाया जा सकेगा अर्थात् कुल तीन माह तक सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

SPXQ

23/5/14

- 22 -

(4) तीन माह से अधिक अवधि अर्थात् आगामी तीन माह के लिए सुरक्षा वृत्ति आवश्यकता होने पर जनपदीय सुरक्षा समिति द्वारा संबंधित व्यक्ति के जीवनभय का पुनर्मूल्यांकन, भय के स्रोतों को चिन्हित कर, जीवनभय को समाप्त किये जाने के संबंध में जनपद स्तर से की गयी कार्यवाही एवं उसके उपरान्त विद्यमान जीवनभय का दृष्टिगत रखते हुये यथोचित प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित मण्डलीय सुरक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। मण्डल स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन निम्नवत होगा-

"मण्डल स्तरीय सुरक्षा समिति"

- | | |
|---|---------|
| 1. मण्डलायुक्त | अध्यक्ष |
| 2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र | सदस्य |
| 3. पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय/मण्डलाधिकारी विशेष शाखा, अभिसूचना विभाग | सदस्य |

मण्डलीय सुरक्षा समिति, सम्पूर्ण तथ्यों का गहनता से आकलन कर औचित्य पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति को तीन माह तक सुरक्षा प्रदान कर सकेगी।

(5) जनपदीय/मण्डलीय सुरक्षा समिति द्वारा सुरक्षा दिये जाने हेतु अपने आदेश में निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख अवश्य किया जायेगा:-

- सुरक्षा कर्मियों की संख्या
- सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने की अवधि
- सुरक्षा का व्ययभार

(6) जनपदीय सुरक्षा समिति द्वारा जिस जीवनभय के आधार पर प्रथम तीन माह हेतु सुरक्षा प्रदान की गयी है, उस जीवनभय को कम करने/अपास्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा गम्भीर प्रयास किया जायेगा।

(7) जनपद एवं मण्डल स्तर पर कुल छः माह की सुरक्षा अवधि समाप्त होने के 15 दिन पूर्व मण्डलीय सुरक्षा समिति द्वारा सम्बन्धित महानुभाव के जीवनभय का पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा एवं जीवनभय विद्यमान होने की दशा में अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित सुविचारित प्रस्ताव/जीवनभय आख्या शासन को विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

(8) मण्डलीय सुरक्षा समिति महानुभावों को सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने हेतु जीवनभय आख्या, निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध करायेगी जिस पर शासन स्तर पर निम्नवत गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा:-

- | | |
|----------------------------------|---------|
| (अ) प्रमुख सचिव, गृह | अध्यक्ष |
| (ब) पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० | सदस्य |
| (स) अपर पुलिस महानिदेशक(सुरक्षा) | सदस्य |

(9) प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा मण्डल स्तरीय सुरक्षा समिति की आख्याओं का परीक्षण कर सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

(10) उच्च स्तरीय समिति द्वारा मण्डलीय सुरक्षा समिति के प्रस्ताव/जीवनभय आख्या पर विचार करते हुए अधिकतम एक बार में 6 माह की अवधि तक सुरक्षा दिये जाने पर विचार किया जायेगा। शासन स्तर से 6 माह हेतु प्रदत्त सुरक्षा अवधि पूर्ण होने पर

सम्बन्धित जिलों से महानुभावों की जीवनमय आख्या मण्डलीय सुरक्षा समिति के माध्यम से प्राप्त होने पर सुरक्षा अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया जायेगा। उच्च स्तरीय समिति द्वारा केवल उन आवेदकों को सुरक्षा देने पर विचार किया जायेगा जिनको जनपदीय व मण्डलीय स्तर पर 06 माह हेतु सुरक्षा दी जा चुकी है एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु मण्डलीय सुरक्षा समिति द्वारा संस्तुति की गयी हो।

(11) भुगतान पर सुरक्षाकर्मी देने से पूर्व कम से कम एक माह का व्यय भार अग्रिम जमा कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि संरक्षित व्यक्ति द्वारा अग्रिम व्यय भार जमा नहीं कराया जाता है तो जमा करायी गयी धनराशि की अवधि समाप्त होते ही सुरक्षाकर्मी वापस ले लिया जायेगा।

(12) सुरक्षा ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों का व्ययभार पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च से पूर्व निर्धारित करके सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जायेगा। ये दरें प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से लागू होकर अगली दरें तय होने तक लागू रहेंगी।

(13) जनपद स्तर पर औचित्य पाये जाने वाले महानुभावों को प्रदत्त सुरक्षा की समीक्षा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की जायेगी। मण्डल स्तर पर औचित्य पाये जाने वाले महानुभावों को प्रदत्त सुरक्षा की समीक्षा मण्डलायुक्त/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा की जायेगी।

(14) ए0के0-47 रांयफल तथा एमपी-5 गन व्यक्तिगत सुरक्षा में नहीं लगायी जायेगी और यदि वर्तमान में किसी की सुरक्षा में लगायी गयी है तो उसे तत्काल वापस कर लिया जायेगा।

(15) पी0ए0सी0 के कमाण्डो प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी किसी महानुभाव की व्यक्तिगत सुरक्षा में गनर/शैडो के रूप में तैनात नहीं किये जायेंगे।

(16) सामान्यतः आवासीय गार्ड, स्कोर्ट वाहन, स्कोर्ट के लिये पुलिस बल, वायरलेस एवं अन्य व्यवस्था शासन की स्वीकृति से ही उपलब्ध करायी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार जनपदीय प्रशासन द्वारा इसकी व्यवस्था सीमित अवधि के लिए स्थानीय स्तर पर की जा सकेगी।

(17) सामान्यतः ऐसे किसी व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जायेगी जो आपराधिक क्रियाकलापों में लिप्त हो एवं जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था दिये जाने से उसके दुरुपयोग की सम्भावना हो तथा आम जीवन में जनता को भय उत्पन्न हो।

- 2 (क) महत्वपूर्ण पदधारकों/अन्य महानुभावों को उनके द्वारा धारित पद के दायित्वों के निर्वहन में सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से सुरक्षा प्रदत्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। महत्वपूर्ण पदों पर आसीन यह महानुभाव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण निरन्तर जनसम्पर्क में बने रहते हैं। उनके इस कार्य की प्रकृति का लाभ उठाते हुए उनसे द्वेषभावना रखने वाले, राष्ट्रविरोधी/समाज विरोधी तत्व उनको कभी भी हानि पहुँचा सकते हैं। अतः इन महत्वपूर्ण पदों पर सुरक्षित बने रहना एवं भयमुक्त वातावरण में अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु निम्नलिखित महानुभावों को जनहित में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही सुरक्षा प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है:-

(i) महामहिम श्री राज्यपाल

(ii) मा0 मुख्यमंत्री जी

(iii) मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यरत, मा0 न्यायाधीशों, मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ की सड़क यात्राओं के दौरान सुरक्षा

व्यवस्था।

- (iv) विधानसभा अध्यक्ष
- (v) सभापित विधान परिषद
- (vi) मंत्रीगण (कैबिनेट मंत्री / राज्यमंत्री / उपमंत्री)
- (vii) मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- (viii) लोकायुक्त / महाधिवक्ता / राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण
- (ix) मंत्री / राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त महानुभाव
- (x) राज्य सरकार के निगमों, आयोगों, संस्थानों, परिषदों / अन्य संस्थाओं आदि के ऐसे गैर सरकारी कार्यकारी अध्यक्षों / उपाध्यक्षों को जिन्हें मंत्री / राज्य मंत्री या उप मंत्री स्तर का कोई दर्जा नहीं प्राप्त है
- (xi) सांसद
- (xii) विधायक
- (xiii) जिला पंचायत अध्यक्ष
- (xiv) केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राज्य सभा के उपसभापति की सुरक्षा
- (xv) इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के उपरोक्त समकक्ष महानुभावों को भी उपरोक्त की भांति सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
- (ख) पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, अवकाश प्राप्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आवश्यकतानुसार जीवनभर आरक्षा के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था प्रदत्त की जायेगी।
- (ग) प्रस्तर (क) एवं (ख) में उल्लिखित महानुभावों को वर्दी में एवं सादे परिधान में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (घ) मा० उच्च न्यायालय के आदेश ... it is necessary that a fresh look be had on an independent basis of the rationale for the impugned Circulars of the State Government and upon an assessment of the sensitivity of a particular situation including of a public office... के आलोक में उपर्युक्त (क) में उल्लिखित महानुभावों को सुरक्षा व्यवस्था निम्नवत् दी जायेगी:-
 - (i) महामहिम श्री राज्यपाल - शासन द्वारा सुरक्षा कर्मियों के सृजित पद व संख्या के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
 - (ii) मा० मुख्यमंत्री जी - शासन द्वारा सुरक्षा कर्मियों के सृजित पद व संख्या के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
 - (iii) मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यरत, मा० न्यायाधीशों, मा० उच्चतम न्यायालय / मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ की सड़क यात्राओं के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में - मा० उच्चतम न्यायालय / मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ के मा० मुख्य न्यायाधीश एवं मा० न्यायाधीश गण की सड़क यात्राओं के दौरान 'बार्डर टू बार्डर' त्रुटिरहित एस्कॉर्ट व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।
 - (iv) विधानसभा अध्यक्ष - पुलिस विभाग द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जायेगी।
 - (v) सभापति विधान परिषद - पुलिस विभाग द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जायेगी।

- (vi) मंत्रीगण (कैबिनेट मंत्री/राज्यमंत्री/ उपमंत्री) - मा० मंत्रीगण के सुरक्षार्थ एस्कॉर्ट लगायी जायेगी। एस्कॉर्ट वाहन सम्बन्धित मा० मंत्री के विभाग द्वारा दी जायेगी एवं ड्यूटी हेतु पुलिस कर्मी पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। मा० मंत्रीगण की सुरक्षा में एक शैडो एवं एक गनर मा० मंत्री जी के जनपद से, एक शैडो सुरक्षा शाखा से तथा एक मुख्य आरक्षी एवं चार आरक्षी एस्कॉर्ट ड्यूटी हेतु मा० मंत्री जी के जनपद से दी जायेगी। मा० मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लखनऊ स्थित आवासों पर सुरक्षा गार्ड लगायी जायेगी।
- (vii) मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीश - मा० उच्च न्यायालय के सभी मा० न्यायाधीश गण को एक गनर एवं एक शैडो दिया जायेगा।
- (viii) लोकायुक्त/महाधिवक्ता/राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण -लोकायुक्त, महाधिवक्ता, अध्यक्ष राज्य सूचना आयोग एवं सदस्यगण को एक सुरक्षा कर्मी शासकीय व्यय पर दिया जायेगा।
- (ix) मंत्री/राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त महानुभाव- एक शैडो व एक गनर तथा 24 घण्टे की ड्यूटी हेतु 03 सुरक्षाकर्मी प्रदान किये जायेंगे।
- (x) राज्य सरकार के निगमों, आयोगों, संस्थानों, परिषदों/अन्य संस्थाओं आदि के ऐसे गैर सरकारी कार्यकारी अध्यक्षों/उपाध्यक्षों को जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री या उप मंत्री स्तर का कोई दर्जा नहीं प्राप्त है- एक सुरक्षाकर्मी निःशुल्क एवं औचित्य पाये जाने पर आवश्यक अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी, प्रति सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय पर प्रदान किये जायेंगे।
- (xi) सांसद - मा० सांसद गण को एक गनर निःशुल्क एवं औचित्य पाये जाने पर 01 अतिरिक्त गनर (अर्थात् दूसरा) निःशुल्क तथा पुनः औचित्य पाये जाने पर तीसरा सुरक्षाकर्मी 25 प्रतिशत निजी व्यय पर, चौथा सुरक्षाकर्मी 75 प्रतिशत निजी व्यय पर या उच्च स्तरीय समिति के निर्णयानुसार उससे अधिक निजी व्यय पर, पांचवा या उससे अधिक सुरक्षाकर्मी 100 प्रतिशत निजी व्यय पर दिया जायेगा।
- (xii) विधायक - मा० विधायक गण को एक गनर निःशुल्क एवं औचित्य पाये जाने पर 01 अतिरिक्त गनर (अर्थात् दूसरा) निःशुल्क तथा औचित्य पाये जाने पर तीसरा सुरक्षाकर्मी 25 प्रतिशत निजी व्यय पर, चौथा सुरक्षाकर्मी 75 प्रतिशत निजी व्यय पर या उच्च स्तरीय समिति के निर्णयानुसार उससे अधिक निजी व्यय पर, पांचवा या उससे अधिक सुरक्षाकर्मी 100 प्रतिशत निजी व्यय पर दिया जायेगा।
- (xiii) जिला पंचायत अध्यक्ष - जिला पंचायत अध्यक्ष को एक सुरक्षाकर्मी शासकीय व्यय पर दिया जायेगा।
- (xiv) केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राज्य सभा के उपसभापित की सुरक्षा - गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 17.11.1992 में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सुरक्षा प्रदत्ता की जायेगी।
- (xv) इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के उपरोक्त समकक्ष महानुभावों को भी उपरोक्त की भांति सुरक्षा प्रदान की जायेगी।

- 3 (क) माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन प्रश्नगत रिट पिटिशन संख्या 6509(एमबी)/2013(पीआईएल) डा0 नूतन ठाकुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.12.2013 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा किये गये संवीक्षण एवं पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित महानुभावों को औचित्य पाये जाने पर निम्नवत सुरक्षा प्रदान की जायेगी:-
- (i) निवर्तमान सांसद/विधायक- औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय अथवा उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित व्ययभार के अनुसार अथवा उच्च स्तरीय समिति के विवेकानुसार निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
 - (ii) नगर प्रमुख/विश्वविद्यालयों के कुलपति- औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय पर दिया जायेगा।
 - (iii) प्रदेश स्तर पर पंजीकृत/मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के अध्यक्ष- औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय पर दिया जायेगा।
 - (iv) जघन्य अपराध होने पर पैरवी करने वाला/गवाह- औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा की सामान्य व्यवस्था की जायेगी। व्यय का निर्धारण जनपदीय सुरक्षा समिति/मण्डलीय/उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णयानुसार किया जायेगा।
 - (v) अन्य किसी व्यक्ति- औचित्य पाये जाने पर आवश्यकतानुसार निजी व्यय पर सुरक्षा प्रदान की जायेगी। निजी व्यय का निर्धारण जिला/मण्डलीय/उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णयानुसार किया जायेगा।
- (ख) उक्त महानुभावों को सादे परिधान में सुरक्षाकर्मी दिये जायेंगे।
- 4 (क) गम्भीर जीवनभय आख्या एवं विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त 2(क) एवं 3(क) में उल्लिखित महानुभावों को उच्च/राज्य स्तरीय समिति द्वारा जीवनभय पाये जाने पर अतिरिक्त सुरक्षा निर्धारित अवधि के लिए दी जा सकेगी।
- (ख) भारत सरकार द्वारा निर्गत येलो बुक की व्यवस्था के अनुसार राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति द्वारा किसी भी महानुभाव को श्रेणीबद्ध सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

संलग्नक: प्राखप-1 व प्राखप-2

भविष्य,
AC
(अनिल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 682 PGS(1)/6-पु0-2-14-700(1)/2001 तददिनांक

पतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश रासन।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. गृह विभाग के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)

अनु सचिव।

1. नाम -

[illegible]

2. पिता/पति का नाम-

[illegible]

3. पदनाम

[illegible]

4. व्यवसाय

[illegible]

5. आर्थिक स्थिति (वार्षिक आय)

के सदस्यों का विवरण

6. व्यक्तिगत /
परिवार में शस्त्रों का विराण

परिवार के सदस्यों का विवरण

1. स्वयं
2. पत्नी
3. पुत्र/पुत्री
4. भाई/भाभी/भतीजा
अविवाहित भतीजी
5. पिता/माता

बन्दूक/पिस्तौल/रिवाल्वर/गणफल/
करवाईन/अर्द्ध स्वचालित शस्त्र/
निषिद्ध वोर का शस्त्र एवं संख्या

7. (अ) स्थायी पता

मण्डल द्वारा कोई सुरक्षा प्रदत्त है या नहीं है ☐ नहीं ☐

(ब) अस्थायी/वर्तमान पता

8. (अ) वर्तमान में जनपद/मण्डल द्वारा कोई सुरक्षा प्रदत्त है या नहीं है ☐ नहीं ☐

यदि हाँ तो—
प्रदत्त सुरक्षा का

यदि हां तो-

यदि हां तो—			
प्रदत्त सुरक्षा का स्वरूप	संख्या	अवधि कब से कब तक	व्ययभार शासकीय/निजी व्ययभार (10/25/50/100 प्रतिशत)
1	2	3	4
गन्त			
रीडो			
अन्य			

(ब) सुरक्षा प्रदत्त कराने वाले जनपद का नाम-

9. (अ) सुरक्षा मांगने का कारण-

(ब) सुरक्षा किस पते पर प्रदत्त की जानी है-

स्थायी पता

अस्थायी पता

(स) मांगी गयी सुरक्षा का स्वरूप/अवधि

प्रदत्त सुरक्षा का स्वरूप	संख्या	अवधि कब से कब तक	व्ययमार शासकीय/निजी व्ययमार (10/25/50/100 प्रतिशत)
1	2	3	4
गनर			
शीडो			
अन्य			

(द) जनपद/मण्डल/शासन से सुरक्षा के सम्बन्ध में पूर्व में दिया गया आवेदन (हां/नहीं)

(य) यदि हां तो- आवेदन पत्र दिनांक किस कार्यालय को दिया

10. आवेदक का आपराधिक इतिहास एवं नवीनतम स्थिति-
(अ) यदि एफ0आई0आर0/अपराधिक वाद हैं तो उसका विवरण-

मु0आ0स0	विवेचनाधीन	चार्जशीट/अंतिम रिपोर्ट	न्यायालय में विचाराधीन
1	2	3	4

(ब) यदि आपराधिक इतिहास नहीं है तो प्रमाणित करें-
..... पुत्र/पुत्री/पत्नी

निवासी प्रमाणित करता/करती हू कि मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक अभियोग पंजीकृत नहीं है और न ही कोई आपराधिक कृत्य का वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

दिनांक

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

11. प्रमाण पत्र-

में

पुत्र/पुत्री/पत्नी

निवासी

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गयी सूचना पूर्ण एवं सही है। गलत व अपूर्ण सूचना पाये जाने पर सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

दिनांक

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

4

जीवनभय आख्या हेतु निर्धारित प्रपत्र

प्रारूप-2

1	आवेदक का नाम	
2	यदि आवेदक सेवारत है तो न्योक्ता का विवरण और आवेदक का पदनाम	
3	यदि आवेदक सेवारत नहीं है तो उसका व्यवसाय	
4	आवेदक की आर्थिक स्थिति/अनुमानित वार्षिक आय	
5	आवेदक की सामाजिक/राजनैतिक पृष्ठभूमि का विवरण	
6	स्थायी पता	
7	अस्थायी पता	
8	परिवार के सदस्यों के नाम एवं स्थायी पता	
9	जीवन भय के विशिष्ट कारणों का विवरण, जिन लोगों से जीवन भय की आशंका व्यक्त की गई है, क्या उनके विरुद्ध आवेदक द्वारा कोई प्रत्यावेदन पूर्व में दिया गया है। यदि हाँ तो इस पर क्या कार्यवाही की गई	
10	जिन लोगों से आवेदक ने जीवन भय की आशंका व्यक्त की है, उनकी पृष्ठभूमि, यदि ऐसे लोगों का कोई अपराधिक इतिहास है, तो उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण और ऐसे लोगों की निकट भूत की गतिविधियाँ	
11	आवेदक का अपराधिक इतिहास यदि कोई (चार्ज शीट, आरोप पत्र, एफ0आर0, दोष मुक्ति/सजा)	
12	वर्तमान में अपराधिक तत्वों से ताल-मेल, सम्पर्क का विवरण आदि	
13	परिवार में लाइसेंसी शस्त्रों का विवरण (शासनादेश दिनांक 09.07.2006 के अनुसार)	
14	आवेदक को वर्तमान में प्रदत्त सुरक्षा का विवरण एवं व्यय भार	
15	यह सुरक्षा आवेदक को किसके आदेश से प्रदत्त है और कब से	
16	विगत तीन वर्षों में आवेदक को क्या कोई सुरक्षा प्रदत्त थी, यदि हाँ तो कितने व्यय भार व किस अवधि के लिए तथा किसके आदेश से प्रदत्त थी	
17	क्या निजी सुरक्षाकर्मी शस्त्र लेकर इनके साथ चलते हैं	
18	क्या शासन द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के दुरुपयोग की सम्भावना है। यदि हाँ तो विवरण	

19	क्या यह व्यक्ति किसी जाधन्य अपराध का पैरोकार/वादी/गवाह है यदि हाँ तो वर्तमान में उस वाद की स्थिति क्या है		
20	सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में जिला समिति की कारण सहित स्पष्ट संस्तुति		

13